माननिय राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला-रीवा (म0प्र0)

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

20 रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित / विलोपित 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 भारत विलोपित / INDIA विलोपित पाँच रुपये FIVE RUPEES

अ0/निग/रिवीजन/ पु0/2017/1789

1- राजनाथ शाह तनय स्व. नाहर शाह उम्र-83वर्ष,

2- शोभई शाह तनय स्व. इन्दर शाह उम्र-54वर्ष,

दोनो पेशा- खेती, सा0 गनियारी, तहसील सिंगरौली,

जिला सिंगरौली (म0प्र0) - - - - - - - - - - ~~अपीलांटगण~~ निगरानीकर्तागण

बनाम

म0प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~रेस्पाण्डेट~~ गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदकगण की ओर से श्री अनिल कुमार साहू एड द्वारा पेश। 12.6.17

12.6.17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी ~~अपील~~ विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक- 1313/अपील/ 12-13 मे पारित आ. दि. 30.5.2017

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

निगरानी ~~अपील~~ अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण ~~अपीलांटगण~~ की ओर से निम्नांकित अपील प्रस्तुतहै:-------

(1)-यहकि निर्णय/आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि प्रकिृया एवं सही तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्यहै।

(2)-यहकि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के उक्त आ.दि. 26.08.13 एवं तहसीलदार के उक्त आ.दि. 04.09.13 को अपीलाधीन आदेश मे न तो निरस्त ही किया है और न स्वीकार ही किया है ऐसी स्थिति में उक्त दोनो आदेश प्रभावी रहते हुये प्रचलित विधि के तहत तहसील न्यायालय को कोई भी नवीन आदेश पारित करने का कोइ अधिकार ही नही है और वह कोई आदेश पारित ही नही कर सकता इस कारण अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

राजनाथशाह

RTI शोभई

2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

III/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2017/1789

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1789–तीन/2017 निगरानी जिला –सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1313/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–5–17 के विरुद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 30–5–17 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने उभय पक्ष के बीच हुये राजीनामे के आधार पर अपील प्रकरण का निराकरण किया है। व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 43 में बर्जन है कि दोनों पक्षों के मध्य कोई सहमति हो जाती है और समझौता के आधार पर न्यायलय व्दारा आदेश पारित किया जाता है, ऐसे आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। 3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी प्रचलन–योग्य एंव ग्राह्य–योग्य न होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	